न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 133 / 2025(GCMS 2025/522)
(RTI No. 212369080108994)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी गावं 5 के एसडी, पो.ऑ. सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619—41862)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>बनाम</u>

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>06.02.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2025 से तहत जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सत्रह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.12..2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सत्रह बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1 प्रार्थी का जीवन संघर्ष में बीत रहा है कभी भी जीवन में दुखद अप्रिय घटना घटित हो सकती है चाहे गए दस्तावेज जीवन से जुड़े हुए हैं तथा समय 48 घंटे में नहीं मिलने पर समस्त जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की होगी

2. दिनांक 13.11.2026 को कार्यालय जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर से विकास शाखा से क्रमांक 2112 पर अंकित है जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में अंकित तत्वों में समस्या का न्याय करने हेतु लिखा गया था इस प्रार्थना पत्र की प्रामाणिक फोटो कॉपी चाहिए

3. वर्तमान कार्यरत जिला रसद अधिका[illegible] विभाग के मोमेंट पंजिका लॉग बुक दैनि[illegible] आगमन सहित जुलाई 2025 से 30 [illegible] 2025 तक [illegible] पंजिकाओं में अंकित विवरण के प्रमाणित दस्तावेज चाहिए है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:46 IST
Reason: SelfAttested

4 जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2024 से आज दिनांक तक अवैध कारोबार करने वाले नागरिकों परीक्षा पर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 133/2025
(GCMS No. 2025/522)
(RTI No. :212369080108994)
मुकन्द सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी

भारी जप्त किए गए सामग्री सहित विवरण पंजीकरण के दस्तावेज एवं जुर्माना वसूल में अन्य कानूनी कार्यवाही की गई कि दस्तावेज चाहिए हैं।

5. वर्तमान राशन विभाग कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के पद नाम सहित कार्य करने की ट्रेनिंग प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी चाहिए राज्य सरकार द्वारा दी गई ट्रेनिंग का दस्तावेज चाहा है
6. बिंदु 2 के अनुसार प्रार्थी के बयानों के प्रमाणित दस्तावेज चाहा है
7. बिंदु 2 के अनुसार पर प्रार्थी का स्पष्टीकरण का दस्तावेज चाहा है
8. प्रार्थना पत्र में शिकायत का निर्णय करने वाले लोकसेवक का पदनाम की सूची चाहिए
9. प्रार्थना पत्र की जांच करने वाले लोक सेवक का कार्यालय मय सील सहित पदनाम की सूची चाहिए एवं जांच रिपोर्ट दस्तावेज चाहे है।
10. प्रार्थना पत्र की शुरुआत सुनवाई के लिए दिए गए नोटिस की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।
11. प्रार्थना पत्र में शिकायत के संबंध में प्रार्थी के लिए गए बयानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
12. शिकायत का फैसला करने वाले लोक सेवक का पद नाम की सूची चाही है।
13. शिकायत के संबंध में समस्त पत्रावली के दस्तावेज चाहे है।
14. RTI आवेदन का FAA का पदनाम व कार्यालय सहित पता व कार्यालय सहित प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
15. शिकायत का फैसला करने का तय समय, प्रारंभिक जांच अनुसार बताए एवं प्रारंभिक जांच व नियमों के अनुसार फैसला करने का तय समय का प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।

16 IPO क्रमांक 70F120137 भरकर PIO [illegible] र लेवे प्रार्थी सहमति देता है।

17. दिनांक 13.11.2025 जिला कलेक्टर [illegible] के विकास शाखा की फोटाकॉपी सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 133 / 2025
(GCMS No. 2025/522)
(RTI No. :212369080108994)
मुकन्द सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक रसद / आरटीआई / 2026 / 163 दिनांक 21.01.2026 से अपील का जवाब प्रेषित किया है कि उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक रसद / आरटीआई / 2025 / 2687 दिनांक 31.12.2025 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया हैः

> इस संबंध में आपको को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा वांछित सूचना बिन्दु संख्या 1 अस्वीकार किया जाता है इसके संबंध में यह है कि धारा 7(1) के अधीन आवेदन का प्राण और स्वतन्त्रता से सम्बन्धित आवेदन माने जाने के लिए, उसे मौलिक साक्ष्य के साथ होना चाहिए कि प्राण और स्वतन्त्रता में आशंका विद्यमान है। बिन्दु संख्या 1 में आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त सूचना का आपके प्राण एवं स्वतंत्रता के संबंध में क्या आशंका विद्यमान है। बिन्दु संख्या 2 के संबंध में यह है कि उक्त पत्र मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को मूल ही प्रेषित कर दिया गया था। बिन्दु संख्या 3 में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जी) के अनुसार, कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो सकती हो, देय नहीं है। बिन्दु संख्या 4 में आपके द्वारा चाही गयी सूचना अस्पष्ट है व धारा 8(1)(एच) के अनुसार, ऐसी सूचना, जो जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी, देय नहीं है।
>
> बिन्दु संख्या 5 में चाही गई सूचना धारा 8(1)(जी),(एच),(जे) के अनुसार देय नहीं है। आरटीआई अधिनियम, 2006 की धारा 8(1)(जी) के अनुसार, कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो सकती हो, देय नहीं है व धारा 8(1)(एच) के अनुसार, ऐसी सूचना, जो जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी, देय नहीं है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार, ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है. या जो व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण करेगी, देय नहीं है।
>
> बिन्दु संख्या 6,7,8,9,10,11,12,13, व 15 के संबंध में यह है कि उक्त प्रार्थनापत्र पर इस कार्यालय से कार्यवाही नहीं हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम [illegible] लोक सूचना अधिकारी से केवल विद्यमान और उपल[illegible] की अपेक्षा की जाती है। सूचनायें एकत्रित [illegible] है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपा[illegible] आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी [illegible] जाना वर्जित है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित कर[illegible] या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:46 IST
Reason: SelfAttested

(N...)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के रूप में नहीं होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकारी के तहत नहीं आता। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, माल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडों संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र 4022 (16) प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नहीं है। रिट पैटीशन सं० 419/2007 डा० सेलस पिन्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सुजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

बिन्दु संख्या 14 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय है, कार्यालय का पता कार्यालय जिला कलक्टर, कलेक्ट्रेट कैम्पस, श्रीगंगानगर है। बिन्दु संख्या 16 व 17 में चाही गयी सूचना अस्पष्ट है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत लोक सूचना अधिकारी से केवल विद्यमान और उपलका रिकॉर्ड की अपेक्षा की जाती है।

केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा आरटीआई द्वितीय अपील संख्या CIC/RAILB/A/2018/129475 निर्णय दिनांक 24.12.2019 में यह निर्णय पारित किया गया कि –"आयोग ने देखा कि मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी है। अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत प्रदान करने की अनुमति नहीं है।"

अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचना अधिकारी संख्या 80/2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियन या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर का जवाब है बिन्दु संख्या 02 का सम्बन्ध मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर से होना बताया है **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी **द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है,** इस न्यायालय को

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 02 की प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्बन्धित बिन्दु की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी भी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता से संबंधित है, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों को ऐसी जानकारी जारी करने से रोकती है, जिससे किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होता है और जिसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट ने सूचना मांगने में वास्तविक जनहित का आधार नहीं बनाया है। ऐसी सूचना का खुलासा करने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत निजता का उल्लंघन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या 27734 / 2012 अनवानी गिरीश रामचन्द्र बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त वगै. में पारित निर्णय मे ऐसा ही मत दिया है। चूंकि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना में कोई व्यापक जनहित नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:46 IST
Reason: SelfAttested